# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

**अपील(सू.का.अ)संख्या 131/2022** बउनवानी शिवदयाल बसवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास स.मा. पुत्र श्री कौरी लाल खटीक, निवासी–75डी भोपाल नगर(आर्दश नगर बी) सवाईमाधोपुर

**GCMS No-2022/ 249**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 2.12.2022 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–<br>1. राजस्व ग्राम ठींगला के पुराने ख0न0 566 एवं नये ख0न0 366 मे आवासीय प्रार्थी के मकान का पटटा चाहने पर आवेदन नगर विकास न्यास स.मा. द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया कि नगर विकास न्यास स0मा0 के पत्रांक/नविन्या/प्र.श.के संग.अभि./2021/647 दिनांक 21.10.2021 द्वारा पटटा नगर परिषद स0मा0 द्वारा जारी करने के लिए लिखा गया है उस पत्र की छायाप्रति देवे।<br>2. प्रार्थी को श्रीमान जी द्वारा जारी पत्रांक/नविन्या/प्र.श.के संग.अभि./2021/647 दिनांक 21.1.0.21 को आदेश की प्रति मय नोट सीट एवं भोपाल नगर आदेश नगर बी के आबादी के पटटे बनवाने से संबंधित समस्त आदेश एवं कार्यवाही की नोटशीट सहित फोटो कापी उपलब्ध कराने ।<br>3. तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पटवार हल्का ठींगला के पुराने ख0न0 566 एवं नये ख0न0 366 को आबादी के लिए दिये गये पटटो की छायाप्रतियॉ उपलब्ध करावे।<br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br><br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक प.()नविन्या/सू.का.अ./2022/1263 दिनांक 4.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के पत्रांक प. नविन्या/समा/2022/1262 दिनांक 4.11.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।<br><br>पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना, सचिव, न[illegible] न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये 977 दिनांक 24.8.2022 एवं पत्रांक [illegible]2 दिनांक 4.11.2022 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट [illegible] जा चुकी है इसलि[illegible] अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]बर से कम हो एवं ब[illegible]मील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Suresh Kumar Ola<br>Date: 2023.03.17 17:40:29 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(सुरेश कुमार ओला)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |